# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 81/2024

**वादीगण :—**

1. समूडी पत्नी स्व.श्री मदरूप राम
2. नाथूराम पुत्र स्व. श्री मदरूप राम
3. निरमा पुत्री स्व.श्री मदरूप राम पत्नी अशोक जातियान जाट निवासीगण जाटों का बास ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा
4. संहिता देवी पुत्री स्व. मदरूप राम पत्नी प्रेमाराम
5. कंचन पुत्री स्व. श्री मदरूप राम पत्नी सुरेश राम जातियान जाट निवासीगण ग्राम बीरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

**बनाम**

**प्रतिवादी** :— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा।

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**उपस्थितिः**—वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी — सरकारी पेरोकार।

## निर्णय दिनांकः— 10/09/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 381 रकबा 2.3299 हैक्टेयर, खसरा संख्या 382 रकबा 1.9416 हैक्टेयर, खसरा संख्या 382/4 रकबा 1.3349 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 से 5 के पिता मदरूप राम की खातेदारीसुदा भूमि है। उपरोक्त खसरान की भूमि के खाता संख्या चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार 640 है। उपरोक्त खसरान की भूमि को वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि ए से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 378 रकबा 1.2782 हैक्टेयर, खसरा संख्या 378/4 रकबा 1.2944 हैक्टेयर, खसरा संख्या 378/8 रकबा 1.5290 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादी संख्या 1 की खातेदारीसुदा भूमि है। उपरोक्त खसरान की भूमि के खाता संख्या चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार 914 है। उपरोक्त खसरान की भूमि को वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि श्बीश से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि ए पूर्व में खातेदार जीता वल्द बिरदा कौम जाट के नाम दर्ज थी। खातेदार जीता फौत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि ए खातेदार जीता के वारिस मंगाराम, मदाराम पिसरान जीताराम, लखाराम पुत्र मंगलाराम के नाम दर्ज की गयी। मदाराम वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 से 5 के पिता है तथा मदाराम का स्वर्गवास दिनांक

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

16.05.2024 को हो चुका है। जीताराम फौत होने पर जीताराम के फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 से 5 के पिता मदरूप राम का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम मदाराम हल्का पटवारी द्वारा दर्ज कर दिया गया तब से उक्त फौतेदगी म्यूटेशन के आधार पर वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 से 5 के पिता मदरूप राम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में मदाराम दर्ज चला आ रहा है जबकि मदाराम का सही नाम मदरूप राम है। जिसके सम्बंध में पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैक डायरी, मृत्यु प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ पेश है। जिसमें मदाराम का सही नाम मदरूप राम दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि ए के सम्बंध में वादीगण द्वारा उनके पतिधपिता का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने वादीगण को बताया कि वादीगण के आधारकार्ड में वादीगण कें पतिधपिता का नाम मदरूप राम दर्ज है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में भी वादीगण के पति/पिता का नाम मदरूप राम दर्ज है व वादीगण के पति/पिता का नाम उपरोक्त सरकारी दस्तावेज में भी मदरूप राम दर्ज है, इसलिए जब तक वादग्रस्त कृषि भूमि श्एश के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के पति/पिता के दर्ज नाम मदाराम के स्थान पर मदरूप राम दुरूस्त नही हो जाता तब तक वो वादीगण के पति/पिता का फौतेदगी म्यूटेशन वादीगण के नाम दर्ज नही किया जा सकता तथा वादीगण द्वारा वादीगण के पति/पिता के वादग्रस्त कृषि भूमि ए के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम मदाराम के स्थान पर उनके सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम मदरूप राम दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादीगण के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु श्रीमान सक्षम है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि ए के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के पति/पिता का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम मदाराम के स्थान पर उनका सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम् मदरूप राम दुरूस्त किये जाना आवश्यक है। क्योकि वादीगण के पति/पिता के घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम मदाराम वादग्रस्त कृषि भूमि ए के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज होने से उनका फौतेदगी म्यूटेशन वादीगण के नाम दर्ज नही हो रहा है, क्योकि उनका राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम उनके उपरोक्त सरकारी दस्तावेज से नही करता है। इसलिए वादीगण के पति/पिता के वादग्रस्त कृषि भूमि ए के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम मदाराम के स्थान पर उनका उपरोक्त सरकारी दस्तावेज अनुसार दर्ज सही नाम मदरूप राम दुरूस्त किये जाने हेतु यहं वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि बी भी पूर्व में खातेदार जीता वल्द बिश्दा कौम जाट के नाम दर्ज थी। खातेदार जीता फौत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि श्बीश खातेदार जीता के वारिस मंगाराम, मदाराम पिसरान जीताराम, लखाराम पुत्र मंगलाराम के नाम दर्ज की गयी। वादी संख्या 1 के पति द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि श्बीश को जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 01.08.1981 को वादी संख्या 1 को बख्शीश कर दी तथा उक्त रजिस्टर्ड बख्शीशनामा में वादी संख्या 1 के पति द्वारा वादी संख्या 1 का नाम घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जानें वाला नाम समदर देवी लिखवाया, तब से उक्त रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के आधार पर दर्ज

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

म्यूटेशन के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि बी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 1 का नाम समदर देवी दर्ज चला आ रहा है, जबकि वादी संख्या 1 का सही नाम समुडी है, जिसके सम्बंध में सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र, आधारकार्ड वाद पत्र के साथ पेश है, जिसमें वादी संख्या 1 का सही नाम समुड़ी दर्ज है। वादी संख्या 1 का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि श्बीश के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में समदर दर्ज होने से वादी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि श्बीश के सम्बंध में मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाओं को प्राप्त नही कर पा रही है, क्योकि तमाम सरकारी सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु वादी संख्या 1 के उपरोक्त सरकारी दस्तावेजात् की मांग की जाती है तथा उपरोक्त सरकारी दस्तावेज अनुसार वादी का सही नाम समुड़ी वादग्रस्त कृषि भूमि श्बीश के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नही होने से वादी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि श्बीश के सम्बंध में तमाम सरकारी सुविधाए प्राप्त नही कर पा रही है। वादग्रस्त कृषि भूमि श्बीश के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 1 का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम समदर के स्थान पर उसके सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम समुड़ी दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादी संख्या 1 के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु श्रीमान सक्षम है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि बी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 1 के घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम समदर के स्थान पर वादी संख्या 1 के उपरोक्त सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम समुड़ी दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि ए के सम्बंध में वादीगण के पति/पिता मदरूप राम के नाम उनके पिताजी जीताराम का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय उनका घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम मदाराम दर्ज करने, तब से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में मदाराम दर्ज चला आने से, वादग्रस्त कृषि भूमि बी के सम्बंध में वादी संख्या 1 के पति द्वारा दिनांक 01.08.1981 रजिस्टर्ड बख्शीशनामा करवाने, रजिस्टर्ड बख्शीशनामा में वादी संख्या 1 का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम समदर देवी लिखवाने से, रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के अनुसार ही दर्ज म्यूटेशन में व राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 1 का नाम समदर दर्ज किये जाने से, वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि एश के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज उनके पतिधपिता के दर्ज नाम मदाराम के स्थान पर सही नाम मदरूप राम व वादग्रस्त कृषि भूमि श्बीश के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 1 के दर्ज नाम समदर के स्थान पर सही नाम समुडी दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा वादीगण के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार करने पर की इस हेतु श्रीमान सक्षम होने पर वादकारण बमुकाम् ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि ए खसरा संख्या 381 रकबा 2.3299 हैक्टेयर, खसरा संख्या 382 रकबा 1.9416 हैक्टेयर, खसरा संख्या 382/4 रकबा 1.3349 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में वादीगण के पतिधपिता के दर्ज घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम मदाराम के स्थान पर वादीगण के पति/

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पिता के सरकारी दस्तावेज में दर्ज अनुसार सही नाम मदरूप राम दुरूस्त किये जाने की डिक्री फरमावे। मुताबिक डिक्री के अनुसार दुरूस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि श्बीश खसरा संख्या 378 रकबा 1.2782 हैक्टेयर, खसरा संख्या 378ध्4 रकबा 1.2944 हैक्टेयर, खसरा संख्या 378ध्8 रकबा 1.5290 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में वादी संख्या 1 के दर्ज घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम समदर के स्थान पर वादी सं. 1 के सरकारी दस्तावेज में दर्ज अनुसार सही नाम समुडी दुरूस्त किये जाने की डिक्री फरमावें। मुताबिक डिक्री के अनुसार दुरूस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा में स्थित भूमि ख.नं. 381 रकबा 2.3299 हैक्टयर, खसरा सं. 382 रकबा 1.9416 हैक्टयर, खसरा सं. 382/4 रकबा 1.3349 हैक्टयर की चालू जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में वादीगण के पति/पिता का नाम मदाराम दर्ज है जो मदाराम के पिता जीताराम के फौत होने पर विरासत नामा. के जरिये दर्ज हुआ। राजस्व ग्राम खेजडला में स्थित भूमि खसरा नं. 378 रकबा 1.2782 हैक्टयर, खसरा सं. 378/4 रकबा 1.2944 हैक्टयर, खसरा सं. 378/8 रकबा 1.5290 हैक्टयर की चालू जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में वादी सं. 1 का नाम समदर दर्ज है जो रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 01.08.1981 के आधार पर दर्ज हुआ है। वादीगण के पति/पिता मदाराम के पेश निजी/सरकारी दस्तावेज, आधारकार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड, बैंक डायरी व मृत्यु प्रमाण में वादीगण के पति/पिता का नाम मदरूपराम दर्ज है। वादी सं. 1 द्वारा पेश निजी/सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र आधारकार्ड में वादी सं. 1 का नाम समुडी दर्ज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाब के पद सं. 1 में वर्णित खसरान की चालू जमाबंदी में वादीगण के पति/पिता का दर्ज अशुद्ध नाम मदाराम के स्थान पर उनके उपरोक्त निजी/सरकारी दस्तावेज अनुसार शुद्ध नाम मदरूपराम व जवाब के पद सं. 2 में वर्णित खसरान की चालू जमाबंदी में वादी सं. 1 के दर्ज अशुद्ध नाम समदर पत्नी मदाराम के स्थान पर उसके उपरोक्त निजी/ सरकारी दस्तावेज अनुसार शुद्ध नाम समुडी पत्नी मदरूपराम शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र नाथूराम पुत्र मदरूपराम का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2021 से 2023 के खसरा नम्बर 378, 381, 382 ग्राम खेजडला , प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2036 से 2039, प्रदर्श 3 आधार कार्ड , प्रदर्श 4 बैंक डायरी, प्रदर्श 5 परिवांर राशन कार्ड, प्रदर्श 6 पैन कार्ड , प्रदर्श 7 मृत्यु प्रमाण पत्र आदि के प्रदर्शित करवाये गये।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड मदरूप राम , प्रदर्श 2 पहचान पत्र मदरूपराम, प्रदर्श 3 परिवार राशन कार्ड मदरूपराम, प्रदर्श 4 बैंक डायरी मदरूपराम, प्रदर्श 5 मृत्यु प्रमाण पत्र मदरूपराम, प्रदर्श 6 आधार कार्ड समुडी, प्रदर्श 7 पहचान पत्र समुडी पत्नी मदरूपराम, प्रदर्श 8 जनआधारकार्ड समुडी पत्नी मदरूपराम आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीया का स्वयं व वादीगण के पति/पिता के सरकारी दस्तावेजात में नाम समुडी पत्नी मदरूपराम व मदरूपराम पुत्र जीताराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीया व वादीगण के पिता/पति का नाम समदर पत्नी मदाराम व मदाराम पुत्र जीताराम के नाम से दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादीगण के राजस्व रेकर्ड में वादीया अपना समुडी पत्नी मदरूपराम व वादीगण अपने पिता/पति का नाम मदरूपराम पुत्र जीताराम की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने मदाराम पुत्र जीताराम के स्थान पर मदरूपराम पुत्र जीताराम व समदर पत्नी मदाराम के स्थान पर समुडी पत्नी मदरूपराम किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम खेजडला के भूमि ख.नं. 381 रकबा 2.3299 हैक्टयर, खसरा सं. 382 रकबा 1.9416 हैक्टयर, खसरा सं. 382/4 रकबा 1.3349 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता/पति मदाराम पुत्र जीताराम के स्थान पर मदरूपराम पुत्र जीताराम तथा राजस्व ग्राम खेजडला के खसरा नं. 378 रकबा 1.2782 हैक्टयर, खसरा सं. 378/4 रकबा 1.2944 हैक्टयर, खसरा सं. 378/8 रकबा 1.5290 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में वादीया समदर पत्नी मदाराम के स्थान पर समुडी पत्नी मदरूपराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

# अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
## (आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

| **वादी** | **बनाम** | **प्रतिवादी** |
|---|---|---|
| समुडी वगैराह | | राजस्थान सरकार |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

राजस्व वाद संख्या :– 81/2024

**निर्णय** **दिनांक :–** 10/04/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम खेजडला के भूमि ख.नं. 381 रकबा 2.3299 हैक्टयर, खसरा सं. 382 रकबा 1.9416 हैक्टयर, खसरा सं. 382/4 रकबा 1.3349 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता/पति मदाराम पुत्र जीताराम के स्थान पर मदरूपराम पुत्र जीताराम तथा राजस्व ग्राम खेजडला के खसरा नं. 378 रकबा 1.2782 हैक्टयर, खसरा सं. 378/4 रकबा 1.2944 हैक्टयर, खसरा सं. 378/8 रकबा 1.5290 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में वादीया समदर पत्नी मदाराम के स्थान पर समुडी पत्नी मदरूपराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

**तीज – मुबलिग – बाबत् –**

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

| 1 | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा